संचार माध्यम | खंड 34(1) : 36-41, जनवरी-जून 2022
आईएसएसएन: 2321-2608

स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय भाषाई पत्रकारिता

विकाश कुमार[1] और डॉ. अंजनी कुमार झा[2]

सारांश

संचार की विशाल दुनिया का एक अभिन्न अंग है पत्रकारिता, जो समाज को समसामयिक घटनाओं तथा गतिविधियों के प्रति सूचित, शिक्षित तथा जागरूक करने का काम करता है। साथ ही यह मनोरंजन और जनमत निर्माण का कार्य भी करता है। समाज में इसके महत्त्व को देखते हुए पत्रकारिता को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की संज्ञा दी गई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत की भाषाई पत्रकारिता की विशेष भूमिका है, क्योंकि भारत में स्वाधीनता संघर्ष का युग भारतीय पत्रकारिता के विकास का युग भी है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई में भारत के सभी प्रांतों की क्षेत्रीय पत्रकारिता ने उल्लेखनीय योगदान दिया है। भारतीय भाषाओं में की जा रही पत्रकारिता ने आमजन में स्वतंत्रता की चेतना का प्रसार करते हुए संपूर्ण स्वतंत्रता संग्राम को एक बौद्धिक विस्तार दिया, जिसके फलस्वरूप भारतवासियों को अँग्रेजी हुकूमत और उसके शोषण से मुक्ति मिली तथा स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनःस्थापना हुई। प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम में भारत की भाषाई पत्रकारिता के योगदान तथा महत्त्व का विभिन्न दृष्टिकोणों से अध्ययन और विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है।

संकेत शब्द : स्वतंत्रता संग्राम, भाषायी पत्रकारिता, समाचार-पत्र, लोकतंत्र, राष्ट्रीयता

प्रस्तावना

भारत में पत्रकारिता की शुरूआत ही अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज बुलंद करने से हुई। 29 जनवरी, 1780 को कलकत्ता से जेम्स ऑगस्टस हिकी द्वारा प्रकाशित 'बंगाल गजट' के माध्यम से भारत में पत्रकारिता का आरंभ हुआ। इस समाचार-पत्र ने तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी के आंतरिक भ्रष्टाचार को उजागर किया। इस दृष्टि से भारतीय पत्रकारिता की बुनियाद में ही शोषण, दमन और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना शामिल रहा है। इसलिए पत्रकारिता को 'बेजुबानों की जबान' भी कहा जाता है। तब से लेकर वर्तमान समय तक भारतीय पत्रकारिता विभिन्न चरणों से होकर गुजरी है। इन्हीं में से एक महत्त्वपूर्ण चरण भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का है, जिसके माध्यम से स्वाधीन भारत का सपना साकार हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विजय-गाथा भारतीय पत्रकारिता के योगदान के बिना अधूरी है। 1857 में आजादी की प्रथम क्रांति से लेकर 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के संघर्ष तक भारतीय पत्रकारिता की विशेष भूमिका रही है। देशभर में चल रहे स्वतंत्रता प्राप्ति के विभिन्न जनआंदोलनों में न सिर्फ स्वतंत्रता सेनानियों ने भागीदारी की, बल्कि समकालीन भारतीय भाषाओं के पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी लेखनी से अँग्रेजों की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद करने के साथ-साथ जनमानस में राष्ट्रीयता और देशप्रेम की भावना का प्रसार करने का कार्य भी किया। राजा राममोहन राय, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, माखनलाल चतुर्वेदी, महात्मा गांधी, बालगंगाधर तिलक तथा गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे कई साहित्यकारों तथा पत्रकारों ने विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में स्वतंत्रता की चेतना का प्रसार किया। उस दौर में अँग्रेजी हुकूमत द्वारा इन पत्रकारों की आवाज को दबाने के लिए कई काले कानून लागू किए गए, उन पर मुकदमे हुए, जुर्माना लगाया गया और कई बार उन्हें जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया। इसके बावजूद अँग्रेजी हुकूमत इनकी लेखनी की धार को कमजोर करने में सफल नहीं हो पाई। भारत का स्वतंत्रता संग्राम वह रणक्षेत्र था, जिसमें देश के लगभग हर क्षेत्र, भाषा, बोली, धर्म, जाति तथा समुदाय के नागरिकों ने अँग्रेजों के शोषण के विरुद्ध आजादी की लड़ाई शुरु की और साथ ही सैकड़ों साहित्यकारों, पत्रकारों तथा संपादकों ने भी इस संग्राम में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। लंबे समय तक चले संघर्षों, आंदोलनों के साथ-साथ नागरिकों, राजनेताओं, क्रांतिकारियों, समाज-सुधारकों, साहित्यकारों तथा पत्रकारों के साझा प्रयासों के फलस्वरूप ही देश को 1947 में आजादी मिली।

साहित्य समीक्षा

जोशी (1991) ने स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी समेत अन्य भारतीय भाषाओं के योगदान पर विस्तृत चर्चा की है। 1780 में हिकी द्वारा निकाले गए समाचार-पत्र के बाद की पत्रकारिता का उल्लेख विशेष रूप से किया है। वे भारतीय पत्रकारिता के जन्म का श्रेय राजा राममोहन राय को देते हुए उनके द्वारा निकाले गए विभिन्न भाषाई समाचार-पत्र-पत्रिकाओं की चर्चा करती हैं, जिनके माध्यम से भारतीय जनमानस के बीच राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार हुआ। इनमें बांग्ला भाषा में 'संवाद कौमुदी' (1820), फारसी में 'मिरात उल अखबार' (1821), हिंदी, बांग्ला, फारसी तथा अँग्रेजी में 'बंगदूत' (1829), तथा अँग्रेजी तथा बांग्ला में 'ब्रह्मैनिकल मैगजीन' प्रमुख हैं। इनके अतिरिक्त वह तत्कालीन अँग्रेजी सरकार द्वारा भारतीय लेखकों, पत्रकारों तथा संपादकों की लेखनी पर अंकुश हेतु लाए गए दमनकारी कानूनों और प्रावधानों का उल्लेख भी करती हैं।

मिश्र (1979) ने भारतीय पत्रकारिता के इतिहास के साथ-साथ इसके व्यावहारिक तथा सैद्धांतिक आयामों का वर्णन भी व्यापकता के साथ किया है। उनके अनुसार भारत में सामाजिक सुधार का प्रयास करने तथा विदेशी शासन के विरुद्ध जनता में जागृति उत्पन्न करने के

[1]पीएचडी शोधार्थी (मीडिया अध्ययन विभाग), महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार- 845401, ईमेल : vkmail93@gmail.com
[2] एसोसिएट प्रोफेसर (मीडिया अध्ययन विभाग), महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार- 845401, ईमेल : anjanikumarjha@mgcub.ac.in